राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–33 / 2023

प्रफ्फुल रंजन बनाम् शारदा देवी एवं अन्य।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–18.07.2023, दिनांक–04.04.2024, दिनांक–16.05.2024, दिनांक–25.06.2024, दिनांक–01.08.2024, दिनांक–05.09.2024, दिनांक–22.10.2024, दिनांक–05.12.2024, दिनांक–02.01.2025, दिनांक–07.08.2025 तथा दिनांक–01.09.2025 को की गई, जिसमें वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफ्फुल रंजन एवं श्री संजय कुमार उपस्थित रहे तथा प्रतिवादियों की ओर से श्री रवि भूषण वर्मा उपस्थित रहे। कुल पाँच प्रतिवादियों (श्रीमती चम्पा देवी, श्रीमती गुड़िया कुमारी, श्री मनोज कुमार, श्री हरेन्द्र श्रीवास्तव एवं कमलावती देवी) द्वारा कालान्तर में अपना पक्ष स्वयं रखा गया। **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान की ओर से श्री शैलेश कुमार चौधरी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान तथा श्रीमती सीमा कुमारी, पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, सिवान को सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।**

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि महाराजगंज नगर पंचायत के आम निर्वाचन के उपरांत सभी बोर्ड के सदस्य, मुख्य पार्षद, श्रीमती शारदा देवी,उप मुख्य पार्षद, श्रीमती गुड़िया देवी तथा वार्ड संख्या–01 से लेकर वार्ड संख्या–14 तक सभी वार्ड पार्षदों द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है।

उनके द्वारा दावा किया गया कि स्थायी सशक्त समिति की बैठक बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–48(1) तथा बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली–2010 की धारा–03 के तहत नियमित रूप से नहीं की जा रही है। उनके द्वारा पुनः अध्यक्ष एवं अन्य वार्ड सदस्यों पर जान–बुझकर अपने कर्त्तव्यों के अवहेलना का लांछन लगाया गया तथा बताया गया कि उनके वाद दायर करने के बावजूद स्थिति लगभग यही बनीं हुई है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जब अध्यक्ष एवं सदस्य बैठकों का आयोजन ही नहीं करते, तो नगर की समस्याओं पर चर्चा तथा विकासात्मक कार्यो की रूपरेखा निर्माण या हो रहे कार्यों की समीक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे प्रमाणित होता है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों के जान–बुझकर कार्य नहीं करने से नगर पंचायत, महाराजगंज का विकास कार्य अवरूद्ध है। आगे उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि यदि अध्यक्ष बैठक आहूत नहीं करते, तो उपाध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि वह बैठक आहूत करें। यदि दोनों विफल रहते हैं, तो सदस्यों का कर्त्तव्य है कि बैठकें आहूत कर विकासात्मक कार्य को किया जाए।

उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि वार्ड सदस्यों द्वारा Bihar Urban Local Bod(Community Participation) Rules-2013 तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–16(A)(6) में वर्णित वार्ड समिति का गठन एव इसके बैठके नहीं की गई है। अतः इन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(I) के तहत निरर्हित करने का अनुरोध किया गया।

उनके द्वारा आयोग को आगे यह बताया गया है कि जिला प्रशासन की तरफ से यह भी प्रमाणित होता है कि प्रतिवादियों द्वारा ससमय एवं नियमित रूप से निर्धारित संख्या में सामान्य बोर्ड की बैठकें एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठकें आहूत नहीं की जा रही है। अतः सभी बोर्ड सदस्यों (मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी 14 वार्ड पार्षद) को निरर्हित किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि महाराजगंज नगर पंचायत के नये बोर्ड का गठन दिनांक–13.01.2023 को किया गया तथा दिनांक–24.02.2023 को सशक्त स्थायी समिति का गठन किया गया। नगर पंचायत महाराजगंज के क्षेत्र में दिनांक–11.04.2023 तक विधान परिषद् के निर्वाचन के कारण आदर्श आचार संहिता लागू थी, जिसके कारण बैठकें प्रभावित हुई, हालाँकि नगर पंचायत महाराजगंज के विकासात्मक कार्यों पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। सभी योजनाएँ तथा आलोच्य वर्ष के बज़ट प्रावधानों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि सामान्य बोर्ड की बैठकें दिनांक–15.04.2023, दिनांक–02.06.2023, दिनांक–01.07.2023, दिनांक–11.08.2023, दिनांक–11.09.2023, दिनांक–13.10.2033, दिनांक–30.11.2023 एवं दिनांक–13.02.2024 को आहूत की गई। इसी प्रकार सशक्त स्थायी समिति की बैठकें दिनांक–12.04.2023, दिनांक–23.08.2023, दिनांक–26.12.2023, दिनांक–09.02.2024 एवं दिनांक–04.03.2024 को आहूत की गई। अंततः उनके द्वारा दावा किया गया कि वादी का दावा आंशिक रूप से सत्य है कि कुछ बैठकें आहूत नहीं हुई हैं, परन्तु यह कहना कि बैठकें नहीं हो रही हैं, तथ्यतः गलत है। उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर बैठकों पर रोक संबंधी कोई आदेश निर्गत नहीं होता, परन्तु परंपरागत रूप से आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में बैठकें नहीं की जाती। आगे उनके द्वारा यह Submission दिया गया कि कुछ बैठकों के नहीं होने को आधार बनाकर सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को एक साथ निरर्हित करने की माँग न्यायोचित नहीं है, इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

अपना पक्ष रखने वाले पाँचों वार्ड पार्षदों द्वारा शपथ–पत्र के साथ यह Submission दिया है कि सामान्य बोर्ड की बैठकें एवं सशक्त स्थायी समिति के बैठकें बुलाने का दायित्व मुख्य पार्षद का है, जब भी उन्हें इन बैठकों में शामिल होने की सूचना प्रदान की गई है, वे इन बैठकों में शामिल हुये है। मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में ही उप मुख्य पार्षद तथा दोनों के अनुपस्थिति में उक्त कर्त्तव्य हेतु उत्तरदायी है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का दावा अंशतः सत्य है तथा अंशतः गलत। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिला निर्वाचन

पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा प्राथमिक प्रतिवेदन पत्रांक–1453, दिनांक–26.05.2023 प्रेषित किया गया है, जिसमें उनका मंतव्य है कि **''निर्धारित संख्या में बैठकें नहीं हुई हैं, परन्तु इस आधार पर अधिनियम की धारा–18(1)(ठ) एवं धारा–25(5) के तहत इसे दायित्वहीनता मानते हुए, सामूहिक रूप से इन्हें हटाने की माँग अतिश्योक्ति पूर्ण प्रतीत होती है।''**

आयोग द्वारा इस तथ्य का परीक्षण करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया गया कि बैठकें नहीं होने पर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अन्य विकासात्मक कार्यों पर कुप्रभाव पड़ा था, अथवा नहीं ?

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–1869, दिनांक–31.07.2024 द्वारा यह सूचित किया गया कि:–

''जाँच के क्रम में पाया गया कि निर्वाचन के पश्चात् शपथ ग्रहण की प्रथम बैठक दिनांक–13.01.2023 को आयोजित करने के उपरांत दिनांक–13.02.2023 को सामान्य बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक–15.04.2023 तृतीय बैठक की गई है। माह मार्च, 2023 में बैठक का आयोजन नहीं हुआ है। इसी प्रकार सशक्त स्थायी समिति की प्रथम बैठक दिनांक–24.02.2023 को आयोजित हुई, जिसमें शपथ ग्रहण का कार्य हुआ है एवं माह अप्रैल में दिनांक–12.04.2023 को द्वितीय बैठक हुई है। माह मार्च–2023 में बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। जाँच के क्रम में यह भी पाया गया कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी, महाराजगंज के पत्रांक–181, दिनांक–27.02.2023 द्वारा वार्ड पार्षदों से बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया, परन्तु माह अप्रैल, 2023 तक वार्ड स्तरीय बैठकें नहीं किया गया है। नगरपालिका अधिनियम–2007 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक बज़ट सशक्त स्थायी समिति के समक्ष दिनांक–12.04.2023 की बैठक में रखा गया है। तत्पश्चात् सामान्य बोर्ड की बैठक में दिनांक–15.04.2024 को इसे अंगीकार किया गया है। इसे कार्यालय पत्रांक–495, दिनांक–24.05.2023 के द्वारा परियोजना पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बज़ट प्राक्कलन को 01 महीने के विलम्ब से अंगीकार किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि याचिकाकर्त्ता के आरोप जो निर्धारित संख्या में सामान्य बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति की बैठकें नहीं होने, समय पर बज़ट पास नहीं करने से संबंधित है, को जाँच में सत्यापित पाया गया है। याचिकाकर्त्ता की मुख्य माँग अधिनियम की धारा–18(1)(ठ) में वर्णित कृत्य एवं कर्त्तव्यों की उपेक्षा के कारण सभी पार्षदों को पदच्यूत करने संबंधित है, जो केवल अंशतः प्रमाणित होता है।''

आयोग द्वारा आगे इस तथ्य पर विचार करने एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान को दिया गया कि क्या प्रतिवादियों द्वारा अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाया गया है, अथवा नहीं, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं, अथवा नहीं।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि कोई भी न्यायालय वाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों से अलग तथ्य पर विचार नहीं कर सकता। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्याय–निर्णय Civil Appeal Nos.5798-5799 of 2008, Bachhaj Nahar Vs. Nilima Mandal & Anothers. का अवलोकन कराया गया। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को Casual Manner में पदच्युत करने पर रोक लगाया गया है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा Civil Appeal No.2085 of 2008, Ravi Yashwant Bhoir Vs. Disrict Collector, Raigad and Others. का अवलोकन आयोग को कराया गया।

आयोग के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–2228/पं0, दिनांक–09.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बोर्ड गठन के उपरांत जुलाई, 2024 तक सामान्य बोर्ड की बैठक 19 के बदले 13 बैठकें आयोजित की गई, जबकि सशक्त स्थायी समिति की 35 बैठकों के विरूद्ध मात्र 08 बैठकें की गई।

आयोग द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा उनके द्वारा संदर्भित न्याय–निर्णयों एवं जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराये गये, प्रतिवेदनों का सूक्ष्मावलोकन किया गया, तो निम्नलिखित तथ्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत पाये गयेः–

1. वाद–पत्र में उल्लेखित समयावधि में वैधानिक प्रावधानों में वर्णित सामान्य बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति की न्यूनतम निर्धारित बैठकों का आयोजन नहीं हुआ है।
2. वाद दायर होने के बावजूद बोर्ड की बैठकों कमी प्रमाणित है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी का दावा अंशतः सत्य है तथा अंशतः निर्विवाद रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षदों की शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के वैधानिक प्रावधान शत–प्रतिशत समरूप नहीं हैं। अतएव प्रतिवादियों को तीन वर्गों में विभाजित कर वैधानिक प्रावधानों के आलोक में अलग–अलग विचार किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

(क) **श्रीमती शारदा देवी, तत्कालीन मुख्य पार्षद, नगर पंचायत महराजगंज**–मुख्य पार्षद के संबंध में शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का विवरण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–27(अ) में वर्णित है। **धारा–27(अ)(1), धारा–27 (अ)(2) तथा** 27(अ)(4)**–सह–पठित धारा–48(1) एवं धारा–48(2) के प्रावधानों से स्पष्ट है कि सामान्य बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति के बैठकों को प्रावाधानानुसार आहूत करने की जिम्मेवारी मुख्य पार्षद की है।**

साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी, श्रीमती शारदा देवी द्वारा अपने वैधानिक कर्त्तव्यों का अनुपालन नहीं किया गया है तथा न्यूनतम निर्धारित सामान्य बोर्ड की बैठक तथा सशक्त स्थायी समिति की बैठके आहूत नहीं की गई है।

आयोग उनके विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं है कि यदि बैठकों के न्यूनतम निर्धारित संख्या में बैठकें आहूत नहीं होती है, तथा बोर्ड के क्रिया–कलाप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता अथवा वित्तीय हानि नहीं होती है, तो बैठकों की कम संख्या को नजर–अंदाज किया जा सकता है। आयोग उक्त तर्क से इस कारण से सहमत नहीं है कि वैधानिक प्रावधानों का अपना स्पष्ट उद्देश्य एवं महत्व होता है। बैठकें केवल आर्थिक क्रिया–कलाप तक सीमित नहीं रहती। यदि ऐसा रहता कि इन बैठकों का कोई महत्व नहीं है, तो वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत इनकी न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई होती।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली का न्याय–निर्णय Civil Appeal No.2085 of 2008, Ravi Yashwant Bhoir Vs. Disrict Collector, Raigad and Others. का संबंध महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम से संबंधित है, जिसके प्रावधान बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त न्याय–निर्णय का निर्वचन बिहार राज्य विशेष के संबंध में करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

प्रतिवादी द्वारा संदर्भित दूसरा न्याय–निर्णय भी इस वाद पर लागू नहीं होता, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वादी एवं प्रतिवादी पूरक शपथ–पत्र के माध्यम से महत्व तथ्यों को प्रस्तुत करते है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(2) के तहत आयोग को स्वतः संज्ञान की शक्ति भी प्रदान की गई है। इसी कारण आयोग द्वारा इस तथ्य का परीक्षण किया गया कि, क्या प्रतिवादी द्वारा जान–बुझकर(Wilfully) वैधानिक कर्त्तव्यों की उपेक्षा तो नहीं की जा रही है।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी श्रीमती शारदा देवी तत्कालीन मुख्य पार्षद, नगर पंचायत महाराजगंज द्वारा आयोग में वाद दायर होने के बावजूद अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करती रहीं। जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये, साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि वाद दायर होने के बावजूद प्रतिवादी द्वारा न्यूनतम निर्धारित संख्या में न तो सामान्य बोर्ड की बैठकें आहूत की गई हैं और न ही सशक्त स्थायी समिति की बैठके आहूत की गई हैं। स्पष्ट है कि उनके द्वारा परिस्थितिवश अथवा अंजाने में ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि जान–बुझकर प्रावधानों से अवगत होने के बावजूद वैधानिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है।

उक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती शारदा देवी तत्कालीन मुख्य पार्षद, नगर पंचायत महाराजगंज द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) के तहत अयोग्यता अर्जित कर ली गई है। अतएव उन्हें बिहार

नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन तत्काल प्रभाव से निरर्हित घोषित किया जाता है।

(ख) श्रीमती गुड़िया देवी, तत्कालीन उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत महराजगंज–उप मुख्य पार्षद के संबंध में शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का विवरण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–26 में वर्णित है। धारा–26–सह–पठित धारा–27(अ)(3) के प्रावधानों से स्पष्ट है कि सामान्य बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति के बैठकों को प्रावाधानानुसार आहूत करने की जिम्मेवारी मुख्य पार्षद की है, परन्तु 27(अ)(3) के अनुसार ''यदि मुख्य पार्षद यथा–प्रावधानित सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाने मे असफल रहते हैं, तो एसी बैठक उप मुख्य पार्षद/मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के द्वारा बुलायी जायेगी।''

साक्ष्यों से प्रमाणित है कि मुख्य पार्षद द्वारा प्रावधानानुसार सशक्त स्थायी समिति की बैठके निरन्तर आहूत नहीं की गई है, इसके बावजूद उप मुख्य पार्षद तथा तत्समय पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बैठकें नहीं बुलायी गयी है। इस प्रकार इनके द्वारा भी अपने कर्त्तव्यों का जान–बुझकर अनुपालन नहीं किया गया एवं इसकी उपेक्षा की गई।

उक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती गुड़िया देवी तत्कालीन उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत महाराजगंज द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) के तहत अयोग्यता अर्जित कर ली गई है। अतएव उन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन तत्काल प्रभाव से निरर्हित घोषित किया जाता है।

तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत महाराजगंज के बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–27(अ)(3) में वर्णित पदीय दायित्व के निर्वहन में प्रमाणित चूक के कारण उनसे कारण पृच्छा के उपरांत विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा उनके पैतृक विभाग को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इस आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु आदेश स्थापना शाखा (निर्वाचन), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को दिया जाता है।

(ग) तीसरे श्रेणी में वर्णित सभी वार्ड पार्षदों के संबंध में विचार किया गया, तो यह पाया गया कि अधिनियम की धारा–16(अ) में वार्ड पार्षदों की शक्तियों एवं कार्यों का विवरण अंकित है। इस विवरण में इन्हें बैठक आहूत करने संबंधी बाध्यकारी कर्त्तव्य से नहीं जोड़ा गया है, हालाँकि धारा–48(2) उन्हें यह शक्ति प्रदान करता है कि 2/5 सदस्य जब कभी उपयुक्त समझे लिखित रूप से बैठक आहूत करने हेतु अध्यपेक्षा मुख्य पार्षद को दे सकते है, जिसपर मुख्य पार्षद को 15 दिन में अनिवार्य रूप से बैठक बुलाना होगा, अर्थात् बैठक मुख्य पार्षद को ही आहुत करना है। यदि मुख्य पार्षद विफल रहते हैं, तो वार्ड पार्षद बैठक आहूत कर सकते है।

साक्ष्यों में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ, जो यह प्रमाणित कर सके कि वार्ड पार्षदों द्वारा अध्यपेक्षा दी गई तथा मुख्य पार्षद के बैठक नहीं बुलाने के कारण उन्हें बैठक बुलानी थी और उन्होंने बैठक नहीं बुलाई। एक तथ्य यह भी है कि सभी

वार्ड पार्षद सशक्त स्थायी समिति के सदस्य नहीं होतें। अतः वह उन बैठकों में भाग लेने हेतु अधिकृत नहीं है।

उक्त वर्णित स्थिति में वार्ड पार्षदों के विरूद्ध लगाये गये, आरोप वैधानिक प्रावधानों के आलोक में प्रमाणित नहीं होते। अतः इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
06.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
06.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक–33/2023

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी
पटना, दिनांक 6.4.26

ज्ञापांक–33/2023 1547

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **सिवान**/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, **सिवान** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, **सिवान** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

06/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी